न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 21/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1मोहनलाल पुत्र आदूराम 2जुगवीर पुत्र बलदेवराम जातियान जाट निवासीगण अरनियाला तहसील रिंयाबडी जिला नागौर।		1अर्जुनराम पुत्र भीयाराम 2श्रीमती शांति पत्नी स्व. शिवजीराम 3राजेन्द्र पुत्र शिवजीराम 4इन्दिरा पुत्री शिवजीराम 5मांगीलाल पुत्र शंकरलाल 6रामरतन पुत्र मांगीलाल 7सुगनाराम पुत्र पूनाराम जातियान जाट निवासीगण अरनियाला तहसील रिंयाबडी जिला नागौर। 8शाखा प्रबन्धक, एसबीआई बैंक शाखा मेडतासिटी। 9शाखा प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पादूकलां। 10राज. सरकार जरिये तहसीलदार (एलआर) रिंयाबडी।

उपस्थिति–

1– श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री रमेश कुमार ढाका अप्रार्थी सं. 1, 3, 5 व 7 की ओर से।

3– श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 की ओर से।

आदेश

दिनांक 12.09.2018

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम अरनियाला के साबिका खसरा नं. 110 व 110 मिन रकबा 14.14 बीघा किस्म गै.मु. नाडी के हाल खसरा नं. 33, 34, 35, 36, 836/35 व 837/35 दर्ज होकर वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो रखे है, को निरस्त करवाए जाने को लेकर प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रार्थीगण का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 अर्जुनराम, अप्रार्थी सं. 3 राजेन्द्र, अप्रार्थी सं. 5 मांगीलाल व अप्रार्थी सं. 7 सुगनाराम की ओर से श्री रमेश कुमार ढाका, अप्रार्थी सं. 2 श्रीमती शांति, अप्रार्थी सं. 4 इन्दिरा, अप्रार्थी सं. 6 रामरतन, अप्रार्थी सं. 8 शाखा प्रबन्धक, एसबीआई बैंक शाखा मेडतासिटी व अप्रार्थी सं. 9 शाखा प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पादूकलां बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहे है तथा अप्रार्थी सं. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कुन्दन सिंह आचीणा उपस्थित हुए। प्रार्थीगण द्वारा अपने रेफरेन्स के समर्थन में नकल ट्रेस नक्शा, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 खाता सं. 5, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 खाता सं. 256, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 खाता सं. 315, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 खाता सं. 6, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 खाता सं. 376, नकल खतौनी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 खाता सं. 383, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी संवत 2010 से 2025 मौजा अरनियाला, नकल खतौनी संवत 2026 से 2036 मौजा अरनियाला, नकल खतौनी संवत 2033 से 2045 मौजा अरनियाला व नकल खतौनी संवत 2046 से 2049 मौजा अरनियाला पेश की गई है।

3 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि -

3(1) गत खसरा नं. 110 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा गै.मु. नाडी जलोद भूमि मौजा अरनियाला में स्थित है। खसरा नं. 110 मिन व 110 के नये खसरा नं. 34 रकबा 0.60 हैक्ट., खसरा नं. 35, खसरा नं. 36 रकबा 0.59 हैक्ट. व खसरा नं. 33 बने। उक्त खसरान का अप्रार्थीगण द्वारा अलग अलग बंटवाडा करवा लेने से खसरा नं. 35 के नये खसरा नं. 35 रकबा 0.27 हैक्ट. खसरा नं. 836/35 रकबा 0.27 हैक्ट. खसरा नं. 837/35 रकबा 0.06 हेक्ट. ग्राम अरनियाला में स्थित है। जो अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हो रखे है तथा उक्त संपूर्ण भूमि शुरू से ही जलोद भूमि गै.मु. नाडी के रूप में रहती चली आयी है। इस भूमि मे मौके पर नाडी स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में नाडी के रूप में दर्ज है तथा नाडी में बरसात का पानी पुराना खसरा नं. 110 की भूमि से इकट्ठा होता है। जो आम जनता व पशुधन के पीने के काम में आता है। उक्त भूमि सार्वजनिक हित की भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

है। उक्त भूमि आवंटन होने व किसी के खातेदारी में दर्ज होने व कृषि योग्य भूमि नही है। बल्कि उक्त संपूर्ण भूमि अकृषि भूमि है। उक्त भूमि जलोद भूमि गैर मुमकिन नाडी के रूप में सैकडों वर्षों से रहती चली आयी है और आज दिन उक्त भूमि नाडी के रूप में सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आ रही है। जो सार्वजनिक हितों की भूमि है। इस भूमि को कानूनी रूप से किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज करना व आवंटन करना वर्जित है तथा गै.मु. नाडी की भूमि की खातेदारी कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता। फिर भी विधि विरूद्व एवं अवैध तरीके से उक्त भूमि को खातेदारी संवत 2018 से 2021 के बीच पुराना खसरा नं. 110 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा पूना, भंवरू, काना वगैरा के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। तत्पश्चात संवत 2022 से 2025 के बीच भागू पुत्र मेहराम, काना पुत्र सूरता, पूना पुत्र फता, भंवरू पुत्र शंकर के नाम खातेदारी दर्ज हुई जो खातेदारी अधिकार बिल्कुल अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। तत्पश्चात संवत 2030 से 2033 के बीच गत खसरा नं. 110 में से 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि मांगू पुत्र शंकरलाल के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। जिस भूमि का खसरा नं. 110 मिन बने पुराना खसरा नं. 110 के शेष रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि की खातेदारी भागू, काना के वारिसान के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त संपूर्ण भूमि की जो अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। वह बिल्कुल ही अवैध एवं विधि विरूद्व होने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है।

3(2) खसरा नंबर 110, 110 मिन कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नं. 35, 34, 36, 836/35, 837/35 व खसरा नं. 33 की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नही था। फिर भी बिना कोई अधिकार होते हुए उक्त गै.मु. नाडी जलोद भूमि की किस्म परिवर्तन कर विधि विरूद्व तरीके से खातेदारी में दर्ज की गई है। जो खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है।

3(3) उक्त भूमि की खातेदारी आगे से आगे दर्ज हो गई। फिर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का अलग अलग बंटवाडा करवाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज करवाया गया। जिससे अलग अलग खसरे दर्ज हुए। लेकिन उक्त भूमि सार्वजनिक गै.मु. नाडी की भूमि है। जो सार्वजनिक हितों की भूमि है तथा सार्वजनिक हितो की भूमि को न तो खातेदारी में दर्ज किया जा सकता है और न ही अलग अलग बंटवाडा करवाया जा सकता है। इसलिये अप्रार्थीगण की खातेदारी विधि विरूद्व होने से व विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अप्रार्थीगण को दिये गये खातेदारी अधिकार अवैध व शून्य है। जो निरस्तनीय है।

3(4) गत खसरा नं. 110, 110 मिन कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में जो दर्ज हुई है। वह गैर कानूनी रूप से दर्ज की गई है। जबकि उक्त भूमि की किस्म शुरू से ही जलोद गै.मु. नाडी के रूप में रहती चली आयी है। जो भूमि कृषि योग्य भूमि नही है। जो भूमि आम जनता के सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आती है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि होने से धारा 16 आटीएक्ट के तहत खातेदारी दर्ज करना व खातेदारी अधिकार प्राप्त करना वर्जित है। उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण को गैर कानूनी रूप से प्राप्त हुई है। जिसका प्रभाव बिल्कुल ही शून्य है तथा शून्य व अवैध प्रभाव से किसी को भी विधिवत रूप से किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नही होता। इसलिये वादग्रस्त संपूर्ण भूमि की खातेदारी जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो रखी है। उस खातेदारी को निरस्त कर उक्त संपूर्ण भूमि को गै.मु. नाडी के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

3(5) वादग्रस्त पुराना खसरा नं. 110 की भूमि सार्वजनिक हितों की भूमि है। लेकिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से व गलत रूप से अप्रार्थीगण के पूर्वश्जों व अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। जो बिल्कुल ही विधि विरूद्व व सार्वजनिक हितों के विपरीत है। बल्कि उक्त भूमि शुरू से ही नाडी के रूप में काम में आती रही है। जो सार्वजनिक हितो की भूमि होने से इस भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी विधि के अनुसार किसी को भी खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। जिससे भी अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है।

3(6) गत खसरा नं. 110 हाल खसरा नं. 33, 34, 35, 36, 836/35, 837/35 गै.मु. नाडी पीढियों से रहती चली आयी है। जो सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग में आती है। इस भूमि पर प्रार्थीगण का प्रत्यक्ष हित निहित करता है। जिससे प्रार्थीगण को यह आवेदन पत्र पेश करने की लोकस स्टेण्डाई है।

3(7) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान आज्ञापक है और आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से पूर्णतया विधि विरूद्व रूप से

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

उक्त भूमि को खातेदारी में दर्ज किया गया है तथा विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया आदेश प्रारंभ से शून्य व अप्रभावी होता है। शून्य प्रभावों के तहत व गैर कानूनी रूप से प्राप्त किये गये अधिकारों को कभी भी भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना न्यायसंगत है।

3(8) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है तथा वादग्रस्त भूमि शुरू से ही गैर मुमकिन नाडी थी। इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना व अन्य न्यायिक निर्णयों की पालना में उक्त भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को पुनः राजकीय भूमि नाडी के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

3(9) विवादित भूमि नाडी है। जो सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आम जनता के लिये आती रही है। इस भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का कब्जा करने व बरसात के पानी में रूकावट करने का कोई किसी तरह का विधिक अधिकार नही है। क्योंकि अप्रार्थीगण को जो खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। वह बिल्कुल ही शून्य अवैध है तथा शून्य प्रभाव के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर कब्जा करने व हस्तान्तरण आदि करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नही होता है तथा आराजी भूमि पानी का भराव क्षेत्र होने से ऐसी भूमियों पर राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन, नियमन व खातेदारी अधिकार दिया जाना वर्जित है। ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार देय नही होने से आवंटन निरस्त किया जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 273 से 274, आरआरटी 2016–17(Supp.) पेज 224 से 226, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 299 से 300, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 301, आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 513 से 515, आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 494 से 495, आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 522 से 524, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 287 से 290, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 291 से 292, आरआरटी 2013--14(Supp.) पेज 292 से 294, आरआरटी 2013–14(Supp.) पेज 294 से 296, आरआरटी 2013(1) पेज 436 से 439, आरआरटी 2013(1) पेज 64 से 67, आरआरटी 2009(2) पेज 839 से 841, आरआरटी 2009(2) पेज 778 से 780, आरआरटी 2008(1) पेज 511 से 515, आरआरटी 2006–07(Supp.) पेज 598 से 601 तथा आरआरटी 2007(1) पेज 1 से 3 नजीरें प्रस्तुत की है।

4 वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के वकील की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि –

4(1) गत खसरा नं. 110 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा मौजा अरनियाला में स्थित है। किन्तु उक्त भूमि कभी भी नाडी के रूप में उपयोग में नही आयी है और न ही आज दिन उक्त भूमि का उपयोग नाडी के रूप में हो रहा है। बल्कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूम है। जो बारानी प्रथम है। खसरा नं. 35 रकबा 0.27 हैक्ट., खसरा नं. 836/35 रकबा 0.27 हैक्ट., खसरा नं. 837/35 रकबा 0.06 हैक्ट. अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो रखे है, सही है। उक्त संपूर्ण भूमि शुरू से ही जलोद भूमि गै.मु. नाडी के रूप में रहती चली आयी हो, गलत है। इसके अलावा लाखो रू. खर्च कर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है। उक्त भूमि मौके पर नाडी स्थित हो, गलत है। बल्कि उक्त भूमि बारानी प्रथम है तथा उक्त भूमि खेती बाडी के उपयोग में आ रही है। जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि बरसात का पानी पुराना खसरा नं. 110 की भूमि में इकट्ठा होता हो और आम जनता व पशुधन के पीने के काम में आता हो। बल्कि उक्त खसरा की भूमि कभी भी नाडी के रूप में उपयोग में नही ली जाती थी और न ही आज दिन नाडी के उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीगण ने मिथ्या, बनावटी व गलत तथ्यों के आधारा पर आवेदन पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। क्योकि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से पार्टीबाजी के कारण द्वेषता रखते है। जिसके कारण ही प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त आवेदन पेश किया है। यदि उक्त भूमि कभी भी आम जनता के काम में आती तो प्रार्थीगण आम जनता की ओर से आवेदन पेश करते, किन्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से व्यक्तिगत रंजिश रखते है। जिसके चलते पार्टीबाजी से उक्त आवेदन अप्रार्थीगण के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। यह कथन गलत है कि उक्त भूमि सार्वजनिक हित की भूमि हो। यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि आवंटन होने व किसी के खातेदारी में दर्ज होने व कृषि योग्य भूमि नही हो और उक्त भूमि अकृषि भूमि हो। बल्कि उक्त भूमि कभी भी नाडी के रूप में उपयोग में नही ली गई और न ही आज दिन वहां पर कोई नाडी का कोई अस्तित्व है। उक्त भूमि आवंटन योग्य थी तथा जिसके पश्चात से ही उक्त भूमि बारानी प्रथम दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण 50 वर्षो से काबिज काश्त है। इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार का

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

आवेदन पेश करने का कोई हक व अधिकार नही है। इसके अलावा उक्त आवेदन मयाद बाहर होने से भी खारिज होने योग्य है। इसके अलावा उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण को आवेदन पेश करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि गै.मु. नाडी के रूप में सैकडों वर्षो से चली आ रही हो और आज दिन उक्त भूमि नाडी के रूप में सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आ रही हो। यह कथन भी गलत है कि इस भूमि को किसी भी व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करना व आवंटन करना वर्जित हो। बल्कि उक्त भूमि नाडी नही होने से ही आवंटन कमेटी ने सभी तथ्यों पर विचार करने व उक्त भूमि कृषि योग्य होने से व अप्रार्थीगण के पूर्वजों का उक्त भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त होने के कारण ही उक्त भूमि का आवंटन कृषि भूमि के लिये किया गया था। जो विधिनुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करके खातेदारी दी गई थी तथा उसके पश्चात उक्त भूमि बारानी प्रथम दर्ज होती रही। ऐसी स्थिति में अब उक्त भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज करने का हक व अधिकार नही है। यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि की खातेदारी कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी नही देती हो और विधि विरूद्व एवं अवैध तरीके से उक्त भूमि की खातेदारी संवत 2018 से 2021 के बीच पूना, भंवरू, काना वगैराह के नाम खातेदारी में गलत दर्ज की गई हो। बल्कि उक्त भूमि के संबंध में संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये है। जिसमें अप्रार्थीगण ने लाखों रू. खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाई है। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 6 के उक्त भूमि खरीद सुदा भूमि है। जिसके संबंध में भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार का उजर व एतराज करने का कोई हक व अधिकार नही है और न ही उक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में काम में ली गई और न ही उक्त आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा पेश किया गया और न ही आम जनता द्वारा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन सारहीन, बलहीन व महत्वहीन व मयाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। यह कथन गलत है कि खातेदारी अधिकार अवैध व विधि विरूद्व होने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। बल्कि उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा ही आंवटन की गई है तथा राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी ने उक्त भूमि के संबंध मं कोई एतराज नही किया है। इसके अलावा उक्त भूमि आज दिन भी कृषि कार्य के उपयोग में ली जा रही है। जिसकी पुष्टि राजस्व रेकर्ड से होती है तथा अप्रार्थीगण का निरंतर व निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई हक व अधिकार नही है।

4(2) यह कथन गलत है कि तहसीलदार को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नही हो और बिना अधिकार के भूमि की किस्म परिवर्तन कर खातेदारी दर्ज की गई हो और जो निरस्तनीय हो। बल्कि तहसीलदार ने संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। इसके अलावा तहसीलदार को खातेदारी अधिकार देने का पूर्ण हक व अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ था तथा उन्ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की गई थी। क्योकि उक्त खसरा की भूमि कभी भी नाडी के रूप में उपयोग में नही ली गई और न ही उक्त भूमि क्षेत्र में कभी कोई नाडी का अस्तित्व था और न ही आज दिन यहां पर किसी नाडी का कोई अस्तित्व है। बल्कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि है। जहां पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कृषि कार्य हो रहा है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र पार्टीबाजी व रंजिश के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त आवेदन पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

4(3) यह सही है कि उक्त भूमि का बंटवाडा होकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि सार्वजनिक गै.मु. नाडी की भूमि हो बल्कि उक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक नाडी के रूप में उपयोग में नही ली गई है। उक्त भूमि हमेशा से ही कृषि योग्य भूमि थी। जिस पर लगातार अप्रार्थीगण के पूर्वज काबिज काश्त थे। जिनको राज्य सरकार द्वारा विधिनुसार आवंटन की गई थी तथा उक्त भूमि में से ही रामरतन ने 1/4 हिस्सा क्रय भी किया है। इस प्रकार से उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काश्तकारों ने लाखो रू. खर्च करके उक्त भूमि पर सुधार कार्य किये है तथा उक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक नाडी के रूप में उपयोग में नही ली गई है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि सार्वजनिक हितों की भूमि हो और सार्वजनिक हितो की भूमि को न तो खातेदारी में दर्ज किया जा सकता हो। बल्कि उक्त भूमि कभी सार्वजनिक नाडी नही रही और न ही वहां पर कभी पानी इकट्ठा होता है और न सार्वजनिक पशु वहां पर बैठते है। उक्त भूमि केवल मात्र कृषि कार्य के ही उपयोग में आ रही है तथा उक्त भूमि पर केवल अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। इसके अलावा उक्त भूमि पर किसी का कोई कब्जा नही है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने उक्त भूमि का आवंटन सारी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर किया था। इसलिये प्रार्थीगण का यह कथन

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

गलत है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी विधि विरूद्व होने से व विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अप्रार्थीगण को दिये गये खातेदारी अधिकार अवैध व शून्य हो और निरस्तनीय हो।

4(4) यह कथन गलत है कि गत खसरा नं. 110, 110 मिन कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में दर्ज हुई है। वह गैर कानूनी रूप से दर्ज हुई हो। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि की किस्म शुरू से ही गै.मु. नाडी के रूप में चली आई है। जो भूमि कृषि योग्य भूमि नही हो बल्कि उक्त भूमि आज दिन भी कृषि कार्य के लिये उपयोग मे ली जा रही है। इसलिये उक्त भूमि का कभी भी नाडी के रूप में उपयोग नही लिया गया। यह कथन भी गलत है कि भूमि आज जनता के सार्वजनिक रूप से उपयोग व उपभोग मे आती हो। बल्कि उक्त भूमि कभी भी जनता के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग मे नही आयी। यदि ऐसा होता तो आम जनता की ओर से आवेदन पेश किया जाता। किन्तु चूंकि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से राजनैतिक द्वेषता रखता है। इसलिये उन्होने केवल गलत तथ्यों के आधार पर उक्त आवेदन पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। जब उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में ही नही ली जा रही तो ऐसी स्थिति में उस पर किसी प्रकार का वर्जित होना गलत अंकित किया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण को गैर कानूनी रूप से प्राप्त हुई हो और उसका प्रभाव शून्य हो। बल्कि उक्त भूमि नाडी न होकर कृषि योग्य भूमि थी। जिस पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा होने से उक्त भूमि का विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके आवंटन किया गया था। यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज की गई है। उस खातेदारी को निरस्त कर उक्त संपूर्ण भूमि को गै.मु. नाडी के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित हो। बल्कि उक्त भूमि जब कभी नाडी के रूप में उपयोग में ही नही आयी व उक्त भूमि आज दिन भी नाडी के रूप में नही है। बल्कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि है। जो आज दिन भी बारानी दर्ज है।

4(5) यह कथन गलत है कि वादग्रस्त पुराना खसरा नं. 110 की भूमि सार्वजनिक हितों की भूमि हो। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि अधिकारियों व कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से व गलत रूप से अप्रार्थीगण के पूर्वजों व अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गई जो बिल्कुल ही विधि विरूद्व व सार्वजनिक हितों के विपरीत हो। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि शुरू से ही नाडी के रूप में काम में आती रही हो। बल्कि उक्त भूमि कभी भी नाडी के रूप में काम में नही ली गई और न ही वहां पर किसी नाडी का कोई अस्तित्व है, उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि थी, जिस पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है।

4(6) प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि पर गै.मु. नाडी पीढियों से रहती चली आई हो, जो सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में आती हो। यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्यक्ष हित निहित करता हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि प्रार्थीगण को उक्त आवेदन पेश करने के लिये लोकस स्टेण्डाई हो। बल्कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से द्वेषता रखते है। जिसके कारण मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त मियाद बाहर आवेदन पेश किया है। जिसको पेश करने की प्रार्थीगण को कोई लोकस स्टेण्डाई नही है।

4(7) यह कथन गलत है कि राजस्व नियमों की अवहेलना करते हुए खातेदारी में दर्ज की हो। यह कथन भी गलत है कि उक्त आदेश अवैध व शून्य हो। बल्कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का लगातार कब्जा काश्त होने से राज्य सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त भूमि का आंवटन किया गया था। जो विधि अनुसार किया गया होने से सही है। जिसमें उक्त आवेदन के जरिये हस्तक्षेप करने का न्यायालय हाजा को कोई हक व अधिकार नही है और न ही खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है।

4(8) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 लागू उक्त प्रकरण में नही होता है। प्रार्थीगण ने मनगढंत व गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान किये 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस प्रकरण से उक्त प्रकरण मयाद बाहर भी है। जिसको निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नही है और न ही उक्त वादग्रस्त खसरा नाडी के रूप में कभी रहा बल्कि कार्य के उपयोग मे लेते है न ही प्रार्थीगण ने मयाद के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही इतने लंबे समय बाद उसे कैसे जानकारी हुई, इसका कोई कथन किया है। इस प्रकार से प्रार्थीगण का मयाद बाहर उक्त आवेदन सव्यय खारिज होने योग्य है। इसके अलावा यहां यह भी विचारणीय है कि अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है और रेफरेंस के माध्यम से इनका नाम विलाप्ति नही किया

अपर कलक्टर, नागौर

जा सकता, इसलिये रेफरेंस का आवेदन खारिज किया जावे तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 288 से 290 तथा आरआरटी 2016 (2) पेज 884 से 889 नजीरे पेश की है।

4(9) विवादित भूमि भी नाडी नही रही बल्कि वादग्रस्त खसरा की भूमि कृषि भूमि है। यह कथन गलत है कि उक्त भूमि नाडी की भूमि हो और वह सार्वजनिक रूप से उपयोग एवं उपभोग में आम जनता के लिये काम आती रही हो। यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण को जो अधिकार प्राप्त हुए है वो अवैध व शून्य हो। यह कथन भी गलत है कि सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर कब्जा करने व हस्तान्तरण आदि करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नही हो। बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिसका हर प्रकार से हस्तान्तरण करने व उसका उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक व अधिकार है।

5 राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में हिस्सा लेते हुए तर्क दिया कि आराजी भूमि गैर मुमकिन नाडी होना जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 से स्पष्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत पानी का बहाव एवं भराव क्षेत्र को खातेदारी अधिकार दिये जाने से प्रतिबंधित भी किया गया है। इसलिये रेफरेन्स स्वीकार किया जाना चाहिये।

6 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि गै.मु. नाडी होने से यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (2) व (6) के अन्तर्गत आने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। वादग्रस्त भूमि गत खसरा न0 110 रकबा 14.14 बीघा गैरमुमकिन नाडी ग्राम अरनियाला की नकल जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2010 से 2013 में दर्ज है, जिसके हाल खसरा नं0 33, 34, 35 व 36 बने है। इस प्रकार उक्त भूमि गैरमुमकिन नाडी के रूप में दर्ज होना रेकर्ड से साबित है। तत्पश्चात् उक्त भूमि खसरा नं0 110 रकबा 14.14 बीघा पूना, भंवरू व काना की खातेदारी संवत 2018 से 2021 की जमाबंदी में व भागू पुत्र मेहराम, काना पुत्र सुरता, पूना पुत्र फता व भंवरू पुत्र शंकर की खातेदारी में दर्ज होना जमाबंदी संवत 2022 से 2025 से प्रकट है। इसके पश्चात जमाबंदी संवत 2030 से 2033 में भागू, काना, पूना व भंवरा के साबिका खसरा नं. 110 मिन रकबा 11.11 बीघा व मांगू पुत्र शंकर के खसरा नं. 110 मिन 3.13 बीघा इन्द्राज आया है। इसके पश्चात जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में भागूराम के स्थान पर चंदा, बोफा पिता भागूराम का इन्द्राज आया। इसके पश्चात नामान्तरकरण सं. 550 के 110 मिन रकबा 3.14 बीघा चन्द्राराम, बोफाराम पिता भागूराम, खसरा नं. 110 मिन रकबा 3.12 बीघा पूनाराम पुत्र फताराम, खसरा नं. 110 रकबा 3.14 बीघा भींयाराम पुत्र कानाराम व खसरा नं. 110/1 रकबा 3.13 बीघा मांगूराम पुत्र शंकरराम की खातेदारी में जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में अंकन आया है। हाल भू प्रबन्ध के दौरान साबिका खसरा नं. 110 के नये खसरा नं. 33 रकबा 0.59 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 7 सुगनाराम, गत खसरा नं. 110 मिन हाल खसरा नं. 34 रकबा 0.60 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 6 रामरतन, साबिका खसरा नं. 110 हाल खसरा नं. 35 रकबा 0.27 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 अर्जुनराम, साबिका खसरा नं. 110/1 हाल खसरा नं. 36 रकबा 0.59 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 5 मांगीलाल, साबिका खसरा नं. 110 के हाल खसरा नं. 837/35 रकबा 0.06 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 अर्जुनराम व शिवजीराम के वारिसान अप्रार्थी सं. 2 से 4 व साबिका खसरा नं. 110 हाल खसरा नं. 836/35 रकबा 0.27 बीघा अप्रार्थी सं. 2, 3 व 4 के पति/पिता शिवजीराम के नाम दर्ज होना नकल जमाबंदी ग्राम अरनियाला संवत 2072 से 2075 से साबित है। साबिका खसरा नं. 110 रकबा 14.14 बीघा के हाल खसरा नं. 33, 34, 35 व 36 रकबा 14.14 बीघा यानि 2.38 हैक्ट. राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अंगोर, पायतन, गोचर, नाडी आदि किस्म की भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित भूमियॉ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटिशन सं0 1536/03 में दि0 02.08.2004 को निर्णय पारित कर केचमेन्ट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाने के निर्देश दिये हैं तथा सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि है। इस प्रकार जमाबंदी संवत 2018 से 2021 व इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 1 से 7 के पक्ष में दर्ज किये गये खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

7 उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अरनियाला के साबिका खसरा नं. 110 के नये खसरा नं. 33 रकबा 0.59 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 7 सुगनाराम, गत खसरा नं. 110 मिन हाल खसरा नं. 34 रकबा 0.60 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 6 रामरतन, साबिका खसरा नं. 110 हाल खसरा नं. 35 रकबा 0.27 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 अर्जुनराम, साबिका खसरा नं. 110/1 हाल खसरा नं. 36 रकबा 0.59 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 5 मांगीलाल, साबिका खसरा नं. 110 के हाल खसरा नं. 837/35 रकबा 0.06 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 1 अर्जुनराम व शिवजीराम के वारिसान अप्रार्थी सं. 2 से 4 व साबिका खसरा नं. 110 हाल खसरा

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

नं. 836/35 रकबा 0.27 बीघा अप्रार्थी सं. 2, 3 व 4 के पति/पिता शिवजीराम कुल 2.38 हैक्ट. किस्म गै0मु0 बा. प्रथम के रूप में दिये गये खातेदारी अधिकार एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरण सं. 550 व अन्य ग्राम अरनियाला के सम्बन्ध में राजस्व जमाबंदी संवत् 2018 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात के आधार पर अप्रार्थीगण को दिये गये खातेदारी अधिकार निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

8 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर
12/9/18